राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1959/2021

नन्द किशोर भार्गव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, ग्रुप–2, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2021
आदेश की दिनांक : 15.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 16.05.1995 (अनुलग्नक–2) के द्वारा सर्वेयर के पद पर जनशक्ति विभाग राजस्थान जयपुर कार्यालय द्वारा दिनांक 20.03.1995 द्वारा प्रेषित पात्र अभ्यर्थियों के नाम के आधार पर हुई। वेतन श्रृंखला 1400–2600 में की गई जिसकी पालना में दिनांक 11.07.1995 को अपीलार्थी ने कार्यभार संभाल लिया जिसके पश्चात दिनांक 14.07.1995 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता प्रथम के पास पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति सर्वेयर के स्थाई पद पर चयन की पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नगर न्यास कोटा में पदों का सृजन करने के संबंध में एक आदेश दिनांक 18.06.1996 (अनुलग्नक–4) को पारित किया जिसके द्वारा नगर सुधार न्यास कोटा में पदों की स्वीकृति जारी की गई, इसमें नगर सुधार न्यास कोटा में सर्वेयर के दो पदों को कनिष्ठ अभियंता के पदों के रूप में परिवर्तन किया गया। उक्त आदेश की पालना में नगर सुधार न्यास, कोटा ने आदेश दिनांक 27.06.1996 (अनुलग्नक–5) को नगर सुधार न्यास कोटा में सर्वेयर के दो पद कनिष्ठ अभियंता के पदों में परिर्वतन करने का आदेश पारित किया गया। जिसमें अपीलार्थी का सर्वेयर पदनाम बदलकर कनिष्ठ अभियंता रखा गया। अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता पद का पूर्णरूप से योग्य कर्मचारी है। प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा उपरोक्त वर्णित आदेश में कर्मचारियों की वरिष्ठता के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया केवल पदों का पदनाम बदला गया था। अपीलार्थी के कार्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ था, दोनों पदों का कार्य एक ही था और दोनों पदों के वेतनमान में भी कोई अन्तर नहीं था। दोनों पदों की योग्यता भी एक ही है। अपीलार्थी को जब सर्वप्रथम सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया गया था उसका वेतनमान 1400–2600 था और कनिष्ठ अभियंता का वेतनमान भी उसी के समान 1400–2600 था। कनिष्ठ अभियंता भी श्रम शक्ति विभाग के तहत नियुक्त था और सर्वेयर भी श्रम शक्ति विभाग के तहत ही नियुक्त किया गया था केवल पदनाम बाद में परिवर्तन किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2001 (अनुलग्नक–6) को कनिष्ठ अभियंता की एक अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमाक 35 पर दर्शाया गया और उसकी नियुक्ति दिनांक 11.07.1995 दर्शायी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.10.2003 (अनुलग्नक–7) को पुनः एक अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 46 पर दर्शाया गया। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथी गलत दर्शायी गई। उक्त आदेश में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथी 27.06.1996 दर्शायी गई जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति स्वीकार्य रूप से 11.079.1995 है। इस संबंध में अपीलार्थी ने एक प्रतिवेदन दिनांक 01.11.2003 (अनुलग्नक–8) को प्रस्तुत किया जिसमें यह लिखा कि उसकी नियुक्ति तिथी 11.07.1995 है और उसी के अनुसार उसको वरिष्ठता सूची में स्थान दिया जावे जैसा कि पूर्व की वरिष्ठता सूची में दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनः दिनांक 03.06.2020 (अनुलग्नक–9) को एक प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अनुचित रूप से अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 27.06.1996 दर्शायी गयी जबकि स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.07.1995 को हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 03.06.2020 की वरिष्ठता सूची के संबंध में एक सारगर्भित प्रतिवेदन 05.06.2020 को प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण किए बिना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 11.08.2020 (अनुलग्नक–1) को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। जिसमें अपीलार्थी को अनुचित रूप से क्रमांक 36 पद दर्शाया गया और प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.07.1995 के स्थान पर दिनांक 27.06.1996 दर्शाते हुए उसकी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जिन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया गया था उन्हें भी उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है। आदेश दिनांक 04.01.1991 में श्री रामेश्वरलाल माथुर, श्री किशनलाल, श्री रमेश चंद माथुर को दैनिक वेतन के रूप में रखा गया था उन्हें वरिष्ठता में प्रथम

नियुक्ति दर्शायी गई है जिनके नाम दिनांक 03.06.2020 की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 9,10 पर अंकित है उनको कि आदेश दिनांक 04.01.1991 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में दर्शाया है उन्हें भी प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.12.1982 एवं दिनांक 07.12.1984 से वरिष्ठता का लाभ दिया गया है जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति श्रम शक्ति विभाग के तहत प्रक्रिया अपनाकर वेतनमान में की गई थी उसे सर्वेयर के पद का कनिष्ठ अभियंता में परिवर्तन की दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा रहा है। (अनुलग्नक–11) विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2020 के आदेश द्वारा अपीलार्थी के समान नियुक्ति श्री ब्रहमलाल शर्मा, सर्वेयर वर्तमान कनिष्ठ अभियंता और श्री चतर सिंह, सर्वेयर को भी उनकी प्रथम नियुक्ति सर्वेयर के पद की सर्विस की गणना करते हुए वरिष्ठता का लाभ दिया गया है जैसा कि आदेश दिनांक 27.08.2020 (अनुलग्नक–12) से स्पष्ट है। आदेश दिनांक 11.08.2020 में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 36 पर दर्ज है जबकि ब्रहमलाल शर्मा, किशनलाल गौड, रामेश्वर लाल माथुर का नाम उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से दर्शाते हुए क्रमांक 19, 20 एवं 22 पर अंकित है। वरिष्ठता सूची में संशोधन दिनांक 27.08.2020 (अनुलग्नक–12) के द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति सर्वेयर पद की नियुक्ति दिनांक से ही सभी को वरिष्ठता का लाभ दिया जा रहा है लेकिन अपीलार्थी को अनुचित रूप से लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी भी अन्य कर्मचारियों के समान वरिष्ठता का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथी दिनांक 11.07.1995 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 11069/2020 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक राहत के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान, जयपुर में अपील प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया और यह भी आदेश किया कि यदि अपीलार्थी माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है तो उसे अपील प्रस्तुत करने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में निस्तारण किया जाये। अपीलार्थी ने उक्त आदेश विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 21.10.2020 (अनुलग्नक–13) को बहाल रखा गया।

अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 11.08.2020 द्वारा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 11.07.1995 मानते हुए संशोधित की जावे तथा इसके पश्चात सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता पद पर होने वाली पदोन्नति में विचार किया जावे और सभी परिणामी लाभ दिलावे जावे साथ ही अपीलार्थी को

वरिष्ठता सूची दिनांक 11.08.2020 में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए संशोधन नहीं किया जावे तब तक सहायक अभियंता व अधिशाषी अभियंता पदों के लिए डीपीसी नहीं की जाने के निर्देश दिलाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को सर्वेयर के पद पर आदेश दिनांक 16.05.1995 के द्वारा नगरीय विकास न्यास कोटा के द्वारा अपीलार्थी को सर्वेयर के पद पर तीन माह के लिये अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई थी। तीन माह के बाद अवधि विस्तार/नियुक्ति के स्थायीकरण का कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 18.06.1996 के द्वारा कोटा में स्थित सर्वेयर के दो पदों को कनिष्ठ अभियंता के पदों में परिवर्तित कर दिया गया था। यह पदों का परिवर्तन था ना कि केवल पदनाम परिवर्तन जैसा कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में आगे कथन किया है। सर्वेयर के पद से कनिष्ठ अभियंता के पद में परिवर्तन से यह स्पष्ट है कि कनिष्ठ अभियंता का पद दिनांक 18.06.1996 से ही अस्तित्व में आया है। अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता के परिवर्तित पद पर दिनांक 27.06.1996 को कार्यग्रहण करने का तथ्य स्वीकार है। उक्त आदेश द्वारा मात्र पदनाम परिवर्तन नहीं होकर कनिष्ठ अभियंता का पद परिवर्तित किया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2001 के द्वारा जारी कनिष्ठ अभियंता की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की कार्यग्रहण तिथी 11.07.1995 सहवन से अंकित हो गई है जिसे आगामी वर्षों में जारी वरिष्ठता सूचियों में ठीक कर दिया गया था। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा संलग्नक के रूप में प्रदर्शित उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची में ज्योतिरानी वर्मा कनिष्ठ अभियंता की कार्यग्रहण तिथी 27.06.1996 ही अंकित है जबकि ज्योतिरानी वर्मा ने अपीलार्थी के साथ ही नगर विकास न्यास के आदेश दिनांक 27.09.1996 की पालना में ही कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण किया था। विभागीय आदेश दिनांक 22.10.2003 में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि विभागीय आदेशों के आधार पर अंकित की गई है एवं अपीलार्थी के द्वारा नगर विकास न्याय में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण की तिथी का कथन एवं संलग्नक प्रदर्शित करता है विभाग द्वारा जारी कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता सूचियों में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति तिथि उनके द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति/कार्यग्रहण के तथ्यों पर आधारित है। कनिष्ठ अभियंता से भिन्न अन्य पदों पर कार्यग्रहण तिथि के आधार पर कनिष्ठ अभियंता के पद पर वरिष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व की गई सेवायें पेंशन/सेवानिवृति परिलाभों के लिये तो मान्य है किंतु कनिष्ठ

अभियंता के पद पर वरिष्ठता निर्धारण करने में पूर्व में की गई सेवायें गणनीय नहीं है। विभाग द्वारा जारी कनिष्ठ अभियंताओं की अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2020 के संबंध में अपीलार्थी एवं अन्य कनिष्ठ अभियंताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण करने तथा उन पर नियमानुसार निर्णय करने के पश्चात ही विभाग द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 11.08.2020 को जारी की गई है। अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर प्रथम कार्यग्रहण की दिनांक 27.06.1996 से ही वरिष्ठता का दावा कर सकता है पूर्व में अन्य पदों पर की गई सेवा पेंशन एवं सेवानिवृति परिलाभों के लिये ही मान्य है। अपीलार्थी द्वारा अंकित अंतिम वरिष्ठता सूची का दिनांक 11.07.2020 गलत तथ्य है, अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने का दिनांक 10.08.2020 है। अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 11.08.2020 में क्रम संख्या 22 पद अंकित ब्रहमलाल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता कार्मिक विभाग की आई.डी.संख्या 597 दिनांक 21.01.2010 से प्राप्त सहमति के क्रम में विभागीय आदेश क्रमांक प. 1 (16) नविवि/1/1994 दिनांक 05.02.2010 के द्वारा सुनील बोहरा के नीचे तथा सहिब राम शर्मा के उपर निर्धारित की गई है। सर्वेयर का पद वेतनमान एवं कार्य आदि कनिष्ठ अभियंता के समान होने से सर्वेयर के पद पर कार्यरत हर कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता के पद की पदोन्नति हेतु स्वयं को पात्र मानते हुए सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति किये जाने की मांग करना न्यायोचित नहीं है। इसलिये कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना नियमानुसार सही है। कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता एवं अन्य पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। अपीलार्थी ने सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि पूर्ण कर ली है तथापि उनसे पूर्व वरिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति नहीं होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति समिति की बैठकों में पदोन्नति नहीं हो सकी है। आगामी पदोन्नति समिति की बैठक में अपीलार्थी की पात्रता एवं रिक्त पदों की उपलब्धता के दृष्ठिगत पदोन्नति समिति इस पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। अधिशाषी अभियंता के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार डिप्लोमाधारी अभियंताओं को सहायक अभियंता के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा का अनुभव होना आवश्यक है। अपीलार्थी अभी सहायक अभियंता के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत नहीं हुआ है, अतः अधिशाषी अभियंता के पद पर नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। अपीलार्थी की कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यग्रहण तिथि दिनांक 27.06.1996 के आधार पर अनुभव की गणना करते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाकर तथा सर्वथा पात्र एवं उपयुक्त पाये जाने पर

पदोन्नति के लाभ दिये जा सकेंगे। विभगीय आदेश क्रमांक प. 01(2)नविवि/1122008 दिनांक 20.05.2011 के द्वारा किशनलाल गौड की नियुक्ति तिथि 14.12.1982 तथा नियमित नियुक्ति तिथि 26.06.1984 मानते हुए वरिष्ठता सूची दिनांक 05.06.2008 में इनकी वरिष्ठता क्रमांक 16ए पर निर्धारित की गई। इसी आदेश द्वारा रामेश्वरलाल माथुर की नियुक्ति तिथि 07.08.1984 तथा नियमित नियुक्ति तिथि 07.08.1984 मानते हुए इनकी वरिष्ठता सूची दिनांक 05.06.2008 में 16बी पर निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त यहां यह तथ्य अंकित करना भी उचित होगा कि राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम 1954 के नियम 28 के अनुसार वरिष्ठता के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

> Seniority:- "Seniority of persons appointed to the lowest post of the Service or lowest categories of posts in each of the Group/Section of the Service as the case may be shall be determined from the date of confirmation of such perons to the said post but in respect of persons appointed by promotion to other higher posts in the Service or other higher categories of posts in each of the Group/Section in the Service, as the case may be, shall be determined from the date of their regular selection to such posts."

अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई तौर पर आदेश दिनांक 16.05.1995 द्वारा सर्वेयर के पद पर की गई जिस पर अपीलार्थी ने 11.07.1995 को कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नगर न्यास कोटा में सर्वेयर के दो पदों को कनिष्ठ अभियंता के पदों में आदेश दिनांक 18.06.1996 द्वारा परिवर्तित किया गया। प्रत्यर्थी नगर न्यास कोटा ने आदेश दिनांक 27.06.1996 द्वारा अपीलार्थी का सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पद पर परिवर्तन किया गया जिसमें यह अंकित है कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपस्थिति देने की दिनांक से यह आदेश लागू होगें। अपील में दिनांक 27.06. 1996 के बजाय दिनांक 11.07.1995 से अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियत मानते हुए वरिष्ठता और अन्य परिलाभ चाहे गये है। जिस दिन उसने सर्वेयर के पद पर कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर आदेश दिनांक 27.06.1996 की अनुपालना में कार्यग्रहण किया गया है। सेवा

नियमों में सर्वेयर और कनिष्ठ अभियंता के पृथक–पृथक पद है एवं पृथक–पृथक वरिष्ठता का निर्धारण होता है। अतः सर्वेयर के पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से अपीलार्थी की सेवाओं को कनिष्ठ अभियंता के रूप में माने जाने और उस अनुरूप वरिष्ठता का निर्धारण किए जाने का चाहा गया अनुतोष नियमानुसार नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 10 अगस्त 2020 को जारी वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक–1) में अपीलार्थी को डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 36 पर दर्शाया जाकर उसकी नियमित नियुक्ति तिथी 27.06.1996 अंकित की गई है जो सही होने के आधार पर हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उक्त अपील विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)